न्यायालय आर्बिट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 28/2020 फोरलेन

उनवान

रमेशचन्द्र जागेटिया पिता जमनालाल जागेटिया निवासी बड़े मंदिर के पास भीलवाड़ा , जिला–भीलवाड़ा

बनाम

1. भारत संघ जरिये मुख्य सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये मुख्य महाप्रबंधक भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेक्टर जी–5 व 6 द्वारका, नई दिल्ली
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एफ–120 जनपथ श्याम नगर जयपुर (राज.)
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौडगढ़, साईट ऑफिस भीलवाड़ा 6–ए–1, आर.सी. व्यास कोलोनी भीलवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुख्यालय गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत् राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (राजसमन्द–भीलवाड़ा) सेक्शन (कि.मी. 00 + 000 से कि.मी. 97 + 250) हेतु ग्राम सहाड़ा की आराजी नंबर 4674 में से अधिक भूमि उपयोग में ली उसकी मुआवजा राशि का निर्धारण हेतु

उपस्थित :– श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से ।
श्री दिनेशचंद्र बापना विभागीय अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

आदेश

दिनांक : 10-03-.2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (जी) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी हक–अधिकार की आराजी संख्या 4674 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि थी जिसमें से 0.0600 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 4 ने राजमार्ग निर्माण में उपयोग में ले ली। प्रार्थी की आराजी संख्या 4674 रकबा 0.0800 हैक्टेयर में से विपक्षी संख्या 4 ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये प्रार्थी से 0.0383 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हेतु क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 19.05.2017 को स्वीकृत होकर प्रार्थी के रेकॉर्ड में यह भूमि कम कर दी गयी। प्रार्थी का रकबा 0.0417 हैक्टेयर शेष बचता है जिसके आराजी संख्या 4674/2 है। विपक्षी सं. 4 ने राजमार्ग के लिये प्रार्थी की 0.0600 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ले ली किन्तु उन्होंने मुआवजा 0.0383 हैक्टेयर का ही दिया शेष भूमि 0.0217 हैक्टेयर का मुआवजा नहीं दिया गया। इस रकबे 0.0217 हैक्टेयर को अवाप्त करने की कार्यवाही धारा 3 (ए) के तहत नहीं करते हुए भी उन्होंने भूमि राजमार्ग के निर्माण में उपयोग में ले ली। इसलिये प्रार्थी द्वारा 0.0217 हैक्टेयर भूमि के मुआवजे की राशि पूर्व दर अनुसार मय सोलेशियम व ताअदायगी ब्याज सहित दिलायी जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

दिनांक 13.01.2021 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी हक–अधिकार की आराजी संख्या 4674 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि थी जिसमें से 0.0600 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 4 ने राजमार्ग निर्माण में उपयोग में ले ली। प्रार्थी की आराजी संख्या 4674 रकबा 0.0800 हैक्टेयर में से विपक्षी संख्या 4 ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये प्रार्थी से 0.0383 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हेतु क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 3232 दिनांक 19.05.2017 को स्वीकृत होकर प्रार्थी के रेकॉर्ड में यह भूमि कम कर दी गयी। प्रार्थी का रकबा 0.0417 हैक्टेयर शेष बचता है जिसके आराजी संख्या 4674/2 है। विपक्षी सं. 4 ने राजमार्ग के लिये प्रार्थी की 0.0600 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ले ली किन्तु उन्होंने मुआवजा 0.0383 हैक्टेयर का ही दिया, शेष भूमि 0.0217 हैक्टेयर का मुआवजा नहीं दिया गया। इस रकबे 0.0217 हैक्टेयर को अवाप्त करने की कार्यवाही धारा 3 (ए) के तहत नहीं करते हुए भी उन्होंने भूमि राजमार्ग के निर्माण में उपयोग में ले ली। इसलिये प्रार्थी द्वारा 0.0217 हैक्टेयर भूमि के मुआवजे की राशि पूर्व दर अनुसार मय सोलेशियम व ताअदायगी ब्याज सहित दिलायी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जाकर अवाप्तशुदा भूमि का प्रतिकर निर्धारण कर अवार्ड जारी किया जाता है एवं यदि मुआवजा राशि कम या अधिक निर्धारण किये जाने पर एन.एच. एक्ट की धारा 3 जी (5) के तहत माननीय न्यायालय में चराजोही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी संख्या 4674/2 के 0.0217 हैक्टेयर रकबे की न तो अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है और न ही इस रकबे का अवार्ड ही जारी किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है ।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन जाहिर होता है कि ग्राम सहाड़ा के आराजी संख्या 4674 रकबा 0.08 है0 में से 0.0383 है0 किस्म गै.मु. सड़क NHAI के नाम दर्ज है एवं आराजी संख्या 4674/2 रकबा 0.0417 है0 भूमि प्रार्थी खातेदार के नाम दर्ज है। तहसीलदार सहाड़ा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2018 में अंकित किया है कि ग्राम सहाड़ा के आराजी संख्या 4674 रकबा 0.08 है0 भूमि में से 0.06 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के सड़क निर्माण में प्रभावित हो रही है। मौके पर उक्त आराजी में से 0.02 भूमि ही शेष रही है। अवाप्त रकबे में से 0.0383 है0 भूमि का विक्रयपत्र प्रार्थी द्वारा एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में निष्पादित कराने से रकबा 0.0217 है0 भूमि प्रभावित रकबा शेष रह गया है जिसका प्रार्थी मुआवजा चाहता है।

प्रार्थी खातेदार की 0.0217 है0 भूमि के संबंध में NHAI की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2020 में अंकित किया है कि ग्राम सहाड़ा की आराजी संख्या 4674/2 की 0.0217 है0 भूमि को वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त नहीं किया गया है एवं न ही उक्त भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई निर्माण किया गया है। उक्त आराजियात की 0.0217 है0 भूमि वर्तमान में अवाप्त नहीं होने से उक्त भूमि का मुआवजा नहीं बनता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं आई.आर.सी. 73–1980 की नियमावली एवं मापदण्डों के अनुसरण में खातेदार अपनी भूमि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है।

सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) गंगापुर के समक्ष उक्त अधिक उपयोग में ली गयी 0.0217 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कार्यवाही चली जिसमें उन्होंने तहसीलदार सहाड़ा, गिरदावर व पटवारी हल्का से मौके की विस्तृत जांच करवायी तो रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रार्थी की 0.0217 हैक्टेयर भूमि का अधिक उपयोग एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़क निर्माण में कर लिया गया है जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। इस संबंध में विपक्षीगण के प्रतिनिधि एफ.पी. प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट ने भी रिटायर्ड नायब तहसीलदार से मौके की जांच करवायी उसमें भी यही प्रकट हुआ कि उक्त आराजियात की कुल 0.0600 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण में अवाप्ति में आ रही है। इस प्रकार कुल 0.0217 हैक्टेयर भूमि का अधिक उपयोग मौके पर सड़क निर्माण में हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण कम या अधिक मुआवजा देने के संबंध में नहीं होकर अधिक उपयोग में ली गयी सम्पूर्ण 0.0217 हैक्टेयर भूमि के मुआवजे के संबंध में है जिसका वाद हेतुक प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का कानूनी दृष्टांत 2012 WLC (Raj.) UC 320 भागीरथमल बनाम राजस्थान सरकार राज्य इस प्रकरण में लागू होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

सम्पूर्ण विवेचन से तहसीलदार सहाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2018 एवं एन0एच0ए0आई0 की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2020 में भिन्नता होने से आराजी संख्या 4674/2 रकबा 0.0417 है0 में से 0.0217 है0 भूमि के एन0एच0ए0आई0 के उपयोग में लेने के संबंध में तहसीलदार सहाड़ा, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौडगढ की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट तैयार किया जाकर जांच रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार एन0एच0आई0एक्ट0 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

परिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को निर्देश दिये जाते है तहसीलदार सहाड़ा व परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौडगढ़ के साथ प्रार्थी की उपस्थिति में ग्राम सहाड़ा के आराजी संख्या 4674/2 रकबा 0.0417 है0 में से 0.0217 है0 भूमि के एन0एच0ए0आई0 के उपयोग में लेने के संबंध में मौका निरीक्षण करें एवं बाद निरीक्षण जांच रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार एन0एच0आई0एक्ट0 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें। तलबिदा रेकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर) भीलवाड़ा